

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-239/2014  
संस्थित दिनांक-27.03.2014  
फाईलिंग नं.-234503001592014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — —अभियोजन

// **विरुद्ध** //

- 1.चन्द्रपाल पिता पीतमलाल बिसेन, उम्र 26 साल,
  - 2.विजय पिता पीतमलाल बिसेन, उम्र 24 साल
- दोनों निवासी देवरीमेटा थाना बिरसा जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — —आरोपीगण

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक 19/02/2018 को घोषित)**

**01—** आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 323, 294, 506 भाग-दो 34 एवं धारा25(1)(बी) आर्म्स एक्ट के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.03.2014 को शाम करीब 04:30 बजे ग्राम देवरीमेटा थाना बिरसा अंतर्गत सह आरोपी के साथ मिलकर प्रार्थी जितेन्द्र धुर्वे जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर सह आरोपी के साथ मिलकर फरियादी जितेन्द्र धुर्वे को जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से स्वेच्छया उपहति कारित कर सह आरोपी के साथ प्रार्थी जितेन्द्र धुर्वे को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरो को क्षारित किया एवं सह आरोपी के साथ मिलकर प्रार्थी जितेन्द्र धुर्वे को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा सह आरोपी विजय बिसेन ने तलवार बिना वैद्य अनुज्ञाप्ति की मध्यप्रदेश के द्वारा अधिसूचना क्रमांक 6312/6552-11(बी) दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन कर अपने आधिपत्य में रखा पाया गया।

**02—** संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी जितेन्द्र धुर्वे ने एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि दिनांक 09.03.2014 को वह अपने एस.डी.ओ. चन्द्रशेखर धुर्वे जल उपभोक्ता संस्था जगला क्रमांक 47/117 के अध्यक्ष श्री देवीलाल टेंभरे एवं अन्य स्टॉफ के साथ शाम करीब 4:30 बजे ग्राम देवरीमेटा में विभाग के आदेश अनुसार नियमतः अंतीलाल पवार के घर के सामने शासकीय सिंचाई राजस्व वसूली कर रहे थे, तभी ग्राम देवरीमेटा के चन्द्रपाल बिसेन तथा उसका भाई विजय बिसेन उन सभी स्टॉफ

को माँ-बहन की अश्लील गंदी गालियों देकर सरकारी काम में रुकावट डालते हुए बोले कि यहाँ कोई राजस्व वसूली का पैसा नहीं देगा वह लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारकर भगा देंगे, उन्होंने उन्हें समझाया, किन्तु वह नहीं माने और अपने घर जाकर डंडे और तलवार लेकर आये और गंदी-गंदी गाली देकर उन्हें भगाने लगे तथा आरोपी चन्द्रपाल ने उसके हाथ से रसीद बुक छुड़ाकर फाड़कर जमीन पर फेंक दिया और विजय बिसेन ने उसे तलवार से दाहिने हाथ की हथेली पर चोट पहुँचाई। उक्त रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-353, 332, 286, 294, 506, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी। प्रकरण में धारा-25 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 506 के स्थान पर 506 बी बढ़ायी गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक-25/14 दिनांक 22.03.14 तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**03-** आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 323, 294, 506 भाग-दो, 34 एवं धारा-25(1)(बी) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी जितेन्द्र धुर्वे ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो/34 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 332 एवं 25(1)(बी) आर्म्स एक्ट के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

**04-** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 09.03.2014 को शाम करीब 04:30 बजे ग्राम देवरीमेटा थाना बिरसा अंतर्गत सह आरोपी के साथ मिलकर प्रार्थी जितेन्द्र धुर्वे जो कि लोकसेवक के रूप में कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सह आरोपी के साथ मिलकर फरियादी जितेन्द्र धुर्वे को जो कि लोकसेवक के रूप में कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपी विजय बिसने ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर तलवार बिना वैद्य अनुज्ञाप्ति की मध्यप्रदेश के द्वारा अधिसूचना क्रमांक 6312/6552-11(बी) दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन कर अपने आधिपत्य में रखा पाया गया।

**विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-****विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03:-**

**नोट:-**सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का विचारण एक साथ किया जा रहा है।

**05-** फरियादी जितेन्द्र धुर्वे अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना दिनांक 09.03.2014 शाम साढ़े चार बजे ग्राम देवरीमेटा की है। घटना के समय वह अपने स्टाफ के साथ ग्राम में सिंचाई राजस्व वसूली हेतु गया था, तब उसका आरोपीगण के साथ विवाद हुआ था। उनके समझाने पर कुछ समय पश्चात आरोपीगण अपने घर चले गये। बाद में उसने थाना बिरसा में घटना की लिखित शिकायत की थी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी.01 दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रपी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे दो मनी रिसिप्ट जप्त कर, जप्ती पत्रक प्रपी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

**06-** फरियादी जितेन्द्र धुर्वे अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह घटना के समय अंजीलाल पवार के घर के सामने आरोपीगण चंद्रपाल एवं विजय ने उन सभी को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर शासकीय कार्य में रुकावट डालते हुये धमकी दी थी कि राजस्व वसूली करने पर जान से मार देंगे, उनके समझाने पर आरोपीगण अपने घर से डण्डे तलवार लेकर आये और आरोपी चंद्रपाल ने उसके हाथ से रसीद बुक छिनकर फाड़कर जमीन पर फेंक दिया, आरोपी विजय ने तलवार से उसके दाहिने हाथ पर चोट पहुँचाया तथा आरोपी चंद्रपाल ने डंडे से बांये हाथ की कलाई एवं सीने में चोट पहुँचाया, जिसे गांव के लोगों ने देखा। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी0-4 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपीगण के साथ मौखिक विवाद हुआ था, उसने पुलिस को मौखिक विवाद के संबंध में बताया था, उसका आरोपीगण के साथ समझौता हो गया है और वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

**07-** फरियादी जितेन्द्र धुर्वे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपीगण से केवल मौखिक विवाद हुआ था, उसने पुलिस को मौखिक विवाद के संबंध में बताया था, उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है और वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं

चाहता है। फरियादी जितेन्द्र धुर्वे अ.सा.01 घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण चन्द्रपाल बिसेन एवं विजय बिसेन ने घटना दिनांक 09.03.2014 को शाम करीब 04:30 बजे ग्राम देवरीमेटा थाना बिरसा अंतर्गत प्रार्थी जितेन्द्र धुर्वे जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर फरियादी जितेन्द्र धुर्वे को जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा सह आरोपी विजय बिसेन ने तलवार बिना वैध अनुज्ञाप्ति की मध्यप्रदेश के द्वारा अधिसूचना क्रमांक 6312/6552-11(बी) दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन कर अपने आधिपत्य में रखे पाये गये। अतः अभियुक्तगण चन्द्रपाल बिसेन एवं विजय बिसेन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 332 एवं 25(1)(बी) आर्म्स एक्ट के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

**08-** आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**09-** प्रकरण में आरोपीगण दिनांक 11.03.2014 से दिनांक 14.03.2014 तथा दिनांक 06.02.2018 से दिनांक 07.02.2018 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**10-** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लाठी एवं दो नग रसीद फटी हुई मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

**11-** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक तलवारनुमा हथियार को तोड़कर नीलाम कर राशि राजकोष में जमा की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / -  
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला बालाघाट

सही / -  
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला बालाघाट